"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2015—भाद्र 13, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामनाथ साहू पिता स्व. रामाधीन साहू, उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 7/सी, सड़क 34, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम भूलवश रामनाथ दर्ज हो गया है. मेरा वास्तविक नाम रामनाथ साहू है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रामनाथ साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे रामनाथ साहू पिता स्व. रामाधीन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रामनाथ (Ramnath) पिता- स्व. रामाधीन साहू (Late Ramadhin Sahu) निवासी-क्वाटर नं. 7/सी, सड़क-34, सेक्टर 5, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	रामनाथ साहू (Ramnath Sahu) पिता- स्व. रामाधीन साहू (Late Ramadhin Sahu) निवासी-क्वाटर नं. 7/सी, सड़क-34, सेक्टर 5, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निर्मला साहू पति श्री रामनाथ साहू, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 7/सी, सड़क 34, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री रामनाथ साहू के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस बुक में मेरा नाम भूलवश निर्मला बाई दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम निर्मला साहू है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती निर्मला साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे निर्मला साहू पति श्री रामनाथ साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

निर्मला बाई (Nirmala Bai)
पति- श्री रामनाथ साहू
(Ramnath Sahu)
निवासी-क्वाटर नं. 7/सी, सड़क-34,
सेक्टर 5, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

निर्मला साहू (Nirmala Sahu)
पति- श्री रामनाथ साहू
(Ramnath Sahu)
निवासी-क्वाटर नं. 7/सी, सड़क-34,
सेक्टर 5, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार चंद्रवंशी पिता स्व. श्री कंचू राम चंद्रवंशी, जाति कुर्मी, उम्र 45 वर्ष, निवासी-ग्राम पंडरिया तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम (छ. ग.) हाल मुकाम-वार्ड नं. 15, शिकारीपारा बालोद जिला बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दुखी राम चंद्रवंशी (डी. आर. चंद्रवंशी) अंकित है तथा मेरे समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दुखी राम चंद्रवंशी अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दिनेश कुमार चंद्रवंशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे दिनेश कुमार चंद्रवंशी पिता स्व. श्री कंचू राम चंद्रवंशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दुखी राम चंद्रवंशी
पिता स्व. श्री कंचू राम चंद्रवंशी
निवासी-ग्राम पंडरिया तहसील कवर्धा
जिला कबीरधाम (छ. ग.)
हाल पता-वार्ड नं. 15, शिकारीपारा बालोद
जिला बालोद (छ. ग.)

नया नाम

दिनेश कुमार चंद्रवंशी
पिता स्व. श्री कंचू राम चंद्रवंशी
निवासी-ग्राम पंडरिया तहसील कवर्धा
जिला कबीरधाम (छ. ग.)
हाल पता-वार्ड नं. 15, शिकारीपारा बालोद
जिला बालोद (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पद्मा गुप्ता पति श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, निवासी-फेस 1, प्लाट नं. 193, 194, मस्जिद गली, तुलसी आवास, राजकिशोर नगर बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) वर्तमान निवासी-क्वा. नं. 21/एफ, सड़क 32, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मुझे के. मंगम्मा पिता के. नागभूषण के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 24-11-2012 को श्री सत्य प्रकाश गुप्ता पिता श्री दीपक कुमार गुप्ता के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पद्मा गुप्ता रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती पद्मा गुप्ता पति श्री सत्य प्रकाश गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

के. मंगम्मा
पिता- के. नागभूषण
स्थायी निवासी-फेस 1, प्लाट नं. 193, 194,
मस्जिद गली, तुलसी आवास,
राजकिशोर नगर बिलासपुर (छ. ग.)
हाल निवास- क्वा. नं. 21/एफ, सड़क 32,
सेक्टर 10, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती पद्मा गुप्ता
पति- श्री सत्य प्रकाश गुप्ता
स्थायी निवासी-फेस 1, प्लाट नं. 193, 194,
मस्जिद गली, तुलसी आवास,
राजकिशोर नगर बिलासपुर (छ. ग.)
हाल निवास- क्वा. नं. 21/एफ, सड़क 32,
सेक्टर 10, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जुल्फीकार अली आत्मज स्व. अब्दुल गफ्फार, उम्र 47 वर्ष, निवासी-7/2, राधिका नगर सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक, शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी निकायों के दस्तावेजों में मेरा नाम जुल्फीकार अली आत्मज स्व. अब्दुल गफ्फार इन्द्राज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जुल्फीकार खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे जुल्फीकार खान आत्मज स्व. अब्दुल गफ्फार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जुल्फीकार अली
आत्मज स्व. अब्दुल गफ्फार
निवासी-7/2, राधिका नगर, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जुल्फीकार खान
आत्मज स्व. अब्दुल गफ्फार
निवासी-7/2, राधिका नगर, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निर्मला जैन (चोपड़ा) पति श्री नवरत्न चोपड़ा (जैन) निवासी- मकान नं. 56, गोलबाजार, सब्जी मंडी, गांधी वार्ड नं. 9, पो. मुंगेली तहसील व जिला मुंगेली (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मैं कु. रंभा जैन आत्मजा श्री सज्जनमल जैन के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अन्य दस्तावेजों एवं बैंक संबंधी अभिलेखों में दर्ज है. विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम निर्मला जैन (चोपड़ा) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती निर्मला जैन (चोपड़ा) पति श्री नवरत्न चोपड़ा (जैन) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. रंभा जैन
आत्मजा- श्री सज्जनमल जैन
निवासी-मकान नं. 7, महावीर नगर,
दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती निर्मला जैन (चोपड़ा)
पति- श्री नवरत्न चोपड़ा (जैन)
निवासी-मकान नं. 56, गोल बाजार,
सब्जी मंडी, गांधी वार्ड नं. 9,
पो. मुंगेली, तहसील व जिला
मुंगेली (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती लता ठाकुर पति स्व. श्री गणेश राम ठाकुर, निवासी- वार्ड नं. 18, शास्त्री नगर, केम्प 01, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. विनिता ठाकुर के जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में सही नाम कु. विनिता ठाकुर दर्ज है जबकि स्कूल के अंकसूची में त्रुटिवश घरेलू नाम कु. प्रियंका दर्ज हो गया है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. विनिता ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को कु. विनिता ठाकुर आत्मजा स्व. श्री गणेश राम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. प्रियंका
आत्मजा स्व. श्री गणेश राम ठाकुर
निवासी- वार्ड नं. 18, शास्त्री नगर, केम्प 01,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कु. विनिता ठाकुर
आत्मजा स्व. श्री गणेश राम ठाकुर
निवासी- वार्ड नं. 18, शास्त्री नगर, केम्प 01,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृष्णा लाल साहू पिता श्री भूषण लाल साहू, आयु 56 वर्ष, निवासी-हाउस नं.-84 सी, रिसाली सेक्टर, सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा दसवीं के अंकसूची, पेन कार्ड, गैस कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस बी. एस. पी. के ओ. पी. डी. बुक (चिकित्सा सेवा कार्ड) में मेरा व मेरे पिता का नाम कृष्णा लाल साहू आ. भूषण लाल साहू दर्ज है जबकि मेरे कक्षा 11वीं सेकेण्डरी के अंकसूची में मेरा व मेरे पिता का नाम कृष्णा लाल आ. भूषण लाल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कृष्णा लाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कृष्णा लाल साहू आ. भूषण लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कृष्णा लाल आत्मज- भूषण लाल निवासी-हाउस नं.-84 सी, रिसाली सेक्टर, सिविक सेन्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कृष्णा लाल साहू आत्मज- भूषण लाल साहू निवासी-हाउस नं.-84 सी, रिसाली सेक्टर, सिविक सेन्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमल नारायण वर्मा आत्मज श्री खोम लाल वर्मा, उम्र 39 वर्ष, निवासी-शांति नगर, बंधवा तालाब के पास, भिलाई 3, तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पत्नी का सही नाम श्रीमती नीता वर्मा है तथा यही नाम उनके समस्त शैक्षणिक अभिलेख/अन्य समस्त दस्तावेज में दर्ज है. मेरे पत्नी का घरेलू नाम श्रीमती सुनीता वर्मा है इसलिए त्रुटिवश मेरे सर्विस रिकार्ड में घरेलू नाम श्रीमती सुनीता वर्मा दर्ज हो गया है. मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीता वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को श्रीमती नीता वर्मा ध. प. श्री कमल नारायण वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती सुनीता वर्मा ध. प. श्री कमल नारायण वर्मा निवासी- शांतिनगर बंधवा तालाब के पास, भिलाई 3, तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती नीता वर्मा ध. प. श्री कमल नारायण वर्मा निवासी- शांतिनगर, बंधवा तालाब के पास, भिलाई 3, तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/568 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा किसान साथी सहकारी समिति मर्या. भानुप्रतापपुर पंजीयन क्र. 559 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/569 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा जय मॉ दुर्गा ईंट गिट्टी मुरूम सहकारी समिति मर्या. डुमरकोट पंजीयन क्र. 514 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/570 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा ग्रामीण विकास सहकारी समिति मर्या. नारायणपुर (भानुप्रतापपुर) पंजीयन क्र. 554 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/571 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महालक्ष्मी हमाल सहकारी समिति मर्या. संबलपुर पंजीयन क्र. 555 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/572 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा वनवासी कृषि एवं वानिकी सहकारी समिति मर्या. संबलपुर पंजीयन क्र. 499 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/573 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा आदिवासी कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या. पांडरवाही पंजीयन क्र. 517 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/574 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा मॉ बम्बलेश्वरी कृषि उद्यानिकी सहकारी समिति मर्या. भानुप्रतापपुर पंजीयन क्र. 490 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/575 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा मॉ करणी कृषि वानिकी एवं ग्रामीण विकास सहकारी समिति मर्या. भानुप्रतापपुर पंजीयन क्र. 505 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/576 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. भानुप्रतापपुर पंजीयन क्र. 515 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/577 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा युवा बेरोजगार विकास सहकारी समिति मर्या. बांदे पंजीयन क्र. 539 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/578 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा ग्रामीण विकास औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. भानुप्रतापपुर पंजीयन क्र. 489 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/579 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा राजमिस्त्री कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या. कोरर पंजीयन क्र. 545 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/580 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा आदिवासी उत्खनन श्रमिक सहकारी समिति मर्या. मरकाटोला पंजीयन क्र. 393 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 24 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/756 .—प्राधिकृत अधिकारी, मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. दुधावा द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-05-2015 के द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया कि वर्तमान में संस्था पूर्णतः अकार्यशील है. आज दिनांक को संस्था के पास नगदी सिलक एवं बैंक जमा शेष निरंक हैं जिसके कारण संस्था के निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची टंकन एवं अन्य कार्य (डाक खर्च) आवेदन सचिव छ. ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को आवेदन प्रेषित करने में सक्षम नहीं हैं. कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/380 कांकेर दिनांक 01-06-2015 एवं पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/509 कांकेर दिनांक 29-06-2015 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/समस्त सदस्य मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. दुधावा पंजीयन क्र. 632 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी नरहरपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. ध्रुव,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.